

रायपुर, दिनांक :

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
कलेक्टोरेट परिसर कबीरधाम,
जिला – कबीरधाम, (छत्तीसगढ़).

विषय : कवर्धा डिवीजन अंतर्गत वनभूमि सड़क समानांतर 4 जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बाबत प्रभावित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु FRA निर्धारित प्रपत्र "स" में प्रदान करने विषयक ।

संदर्भ : 1) कार्यालय चिप्स, एसडीसी बिल्डिंग, सिविल लाईन्स रायपुर का पत्र
क्रमांक / 737/CEO/Chips/SKY/ दिनांक 16.04.2018 ।

2) छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक-3-11/2018/56/इसूप्रौ दिनांक 11.05.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत हों कि संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा कार्यालय चिप्स रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड को **"कार्यान्वयन सहभागी"** बनाया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-2 एवं अधिसूचना क्रमांक/एफ-4/54/2014 /56/इसूप्रौ दिनांक 26.06.2015 के माध्यम से समस्त जिलों में कार्य सम्पादन हेतु राईट-ऑफ-वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान की गई है ।

संदर्भित पत्र क्रमांक-2 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत **"छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई योजना)"** के तहत अनुमति प्रदान की गई है ।

आपके जिले के क्षेत्रान्तर्गत कवर्धा डिवीजन अंतर्गत वनभूमि सड़क समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है तथा इस मार्ग में निम्नांकित वन भूमि शामिल है :-

प्रभावित वन भूमि का कक्ष अनुसार विवरण

क्रमांक	मार्ग	वन संभाग	वन परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	डायवर्सन एरिया (हेक्टर में)
1	धवईपानी-बोडला	कवर्धा	चिल्पी	राजधर	324	0.015
2				दुलदुला	326	0.133
3					151	0.013
4					325	0.088
5					327	0.015
6					56	0.043
7					328	0.013
8			भोरमदेव	बंजारी	72	0.008
9			चिल्पी	चिल्पी	328	0.028
10				बंजारी	59	0.015
11				चिल्पी		0.348
संरक्षित वनए आरक्षित वन कुल योग						0.719

शासन के निर्देशानुसार एवं वन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार FRA निर्धारित प्रपत्र "स" में संबंधित कलेक्टर द्वारा लिया जाना आवश्यक है । अतएव आपके अधिकार क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल वन भूमि पर ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रपत्र "ब" संलग्न है ।

अतः महानुभाव से अनुरोध है कि कृपया उक्त मार्ग में सम्मिलित वन भूमि/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन FRA निर्धारित प्रपत्र "स" में प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(देवेन्द्र अरोड़ा)
टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)